राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 31/2016
(अपील संख्या – 118/2014)

नानग राम बिलूनिया

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री अर्जित बनर्जी, शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.06.2016
आदेश की दिनांक : 19.12.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री रघुनन्दन शर्मा, अभिभाषक
अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 118/2014 में दिनांक 12.01.2016 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 12.01.2016 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

"अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन हुआ और चयन के उपरान्त दिनांक 14.02.1989 को उसकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया जो एनेक्सर–1 व 2 पत्रावली पर उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा दिनांक 14.02.1989 तक सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर नहीं था बल्कि बालमुकुन्द ओझा सहायक सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 28.03.1992 को वर्ष 1990–91 की रिक्ति के विरूद्ध उसे जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। यद्यपि सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है फिर भी यदि इस तथ्य पर गहराई से नहीं देखा जाए तब भी बालमुकुन्द ओझा की पदोन्नति का आदेश दिनांक 28.03.1992 को जारी हुआ है जो एनेक्सर 7 है। यह पदोन्नति वर्ष 1990–91 की रिक्ति के विरुद्ध होने के कारण बालमुकुन्द ओझा की वरिष्ठता दिनांक

01.04.1990 से गणना की जाए तब भी अपीलार्थी नानगराम बीलूनिया बालमुकुन्द ओझा से इस क्रम में वरिष्ठ है क्यों कि अपीलार्थी का सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिनांक 14.02.1989 है।

उपरोक्तानुसार प्रारम्भिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अति. निदेशक आदि के पदो की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2003 को जारी की गयी जो एनेक्सर–3 है। इस वरिष्ठा सूची में सहायक निदेशक के रूप में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर है और इसमें बालमुकुन्द ओझा का नाम नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालमुकुन्द ओझा उस समय तक सहायक निदेशक नहीं बना था जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया सहायक निदेशक के पद पर था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सहायक निदेशक के पद पर पदौन्नति वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरूद्ध हुई थी।

इसके पश्चात वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की गयी जिसका आदेश दिनांक 30.08.2003 का है जो एनेक्सर 4 है। पदोन्नति के इस आदेश के अनुसार क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का नाम अंकित है। इसके पश्चात दिनांक 01.11.2012 को पुनः अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिसमें उप निदेशक के रूप में 6 अधिकारियों के नाम अंकित है। जिनमें अपीलार्थी का नाम कम संख्या 6 पर है। इसी वरिष्ठता सूची में सहायक निदेशक के 17 अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिसमें बालमुकुन्द ओझा का सहायक निदेशक के रूप में क्रम संख्या 7 पर नाम अंकित है। यहां तक अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया, बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ रहा और बालमुकुन्द ओझा प्रारम्भ से लेकर यहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी रहा है, जो अभिलेख से स्पष्ट है।

इसके पश्चात दिनांक 24.12.2012 को सहायक निदेशक के पदों के लिए वर्ष 1997–98 से 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पुनः पदोन्नति का आदेश जारी किया गया जो एनेक्सर 8 है। इस आदेश में यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरुद्ध नानगराम बिलूनिया की की गयी पदोन्नति को निरस्त कर एडहोक घोषित किया जाता है और इस आदेश में नानगराम बिलूनिया को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति दी गयी जिसका सूची में क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है और क्रम संख्या 5 पर बालमुकुन्द ओझा का नाम अंकित है। यहां तक भी अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया, बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ अधिकारी रहा है और बालमुकुन्द ओझा, नानगराम बिलूनिया से कनिष्ठ अधिकारी रहा है। दिनांक 24.12.2012 को ही उप निदेशक के पद पर वर्ष 1997–98 से वर्ष 2005–06 तक की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का पुनः आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत कर उप निदेशक के पद पर किया गया चयन निरस्त कर दिया और उसे एडहोक घोषित किया गया।

इसके पश्चात दिनांक 24.12.2012 को ही एक और आदेश जारी किया गया जिसमें वरिष्ठता के आधार पर उप निदेशक पद पर पदोन्नति दी गयी, जिसमें 10 नाम अंकित है। इसमें बालमुकुन्द ओझा का नाम क्रम संख्या 3 पर है और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का नाम क्रम संख्या 6 पर है। बालमुकुन्द ओझा को वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरुद्ध पदौन्नत किया गया और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया और पदोन्नति के परिणामस्वरूप पद के परिलाभ दोनों को क्रमशः दिनांक 1.2.2010 तथा 20.09.2011 से दिये गये। यह आदेश एनेक्सर–10 है और इस आदेश से बालमुकुन्द ओझा पहली बार अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया से वरिष्ठ दर्शाया गया और अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ दर्शाया गया जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया जिस समय सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आया उस समय तक बालमुकुन्द ओझा उस पद पर नहीं आया था और यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि बालमुकुन्द ओझा सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप आया और उसकी पदोन्नति भी उस वर्ष नहीं हुई जिस वर्ष अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया इस सेवा में आया और सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया बल्कि उसके बाद के वर्ष में पदोन्नति हुई है।

उपरोक्तानुसार उप निदेशक पद पर अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया एवं प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा की पदोन्नति के पश्चात वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठता के आधार पर बालमुकुन्द ओझा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 01.01.2013 को जारी किया गया जो एनेक्सर 12 एवं 13 है। यहां पर बालमुकुन्द ओझा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हो गया जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया उप निदेशक के पद पर ही रहा तब उसने इस बाबत प्रतिवेदन विभाग में उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये तो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, सरकार ने दिनांक 25.09.2013 को अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया को पत्र लिखकर सूचित किया कि आपकी उप निदेशक के पद पर अनुभव

की गणना दिनांक 01.04.2012 से की जाएगी तब अपीलार्थी ने यह अपील इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

अधिकरण इस सम्बन्ध में गुणदोष के आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली एवं अभिलेख का अवलोकन करते हुए यह पाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पदौन्नति में क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत जो आरक्षण का प्रावधान है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि शेष 72 प्रतिशत पदो पर सामान्य वर्ग का आरक्षण हो। बल्कि वे 72 प्रतिशत पद अनारक्षित है। अनारक्षित का यह तात्पर्य है कि उन पर किसी का भी आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्मिक आरक्षण के आधार पर एवं अनारक्षित पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नति प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया बालमुकुन्द ओझा की वरिष्ठता को लांघते हुए आरक्षण के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर उससे वरिष्ठ नहीं हुआ है अपितु अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया प्रारम्भ से ही बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ था और वह वरिष्ठता आरक्षण के आधार पर नहीं था। बालमुकुन्द, ओझा अपीलार्थी के सेवा में आने तक सेवा में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त ही नहीं था और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयनित होकर जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था भले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन सूची में नानगराम बिलूनिया का चयन आरक्षण के आधार पर हुआ हो लेकिन वह इस पद पर बालमुकुन्द ओझा से पहले सेवा में आया इसलिए वह बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ हुआ और जिस वर्ष बालमुकुन्द ओझा पदोन्नत होकर जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में सेवा में आया उस वर्ष से पहले ही नानगराम बिलूनिया जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इसलिए निष्कर्ष रूप में अपीलार्थी प्रारम्भ से ही बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठ था और बालमुकुन्द ओझा कनिष्ठ था। अतः बिना आरक्षण के भी सामान्य वरिष्ठता के आधार पर भी जब बालमुकुन्द ओझा की पदौन्नति का अवसर आया उससे पहले वह अवसर नानगराम बिलूनिया को मिलना चाहिए था जो उसे नहीं मिला। जहां तक पदोन्नति पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न है. यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति आरक्षण के आधार पर और बिना आरक्षण के सामान्य अनुक्रम में पदौन्नत होकर उच्च पद पर जाते हैं, तब यदि उनका प्रतिनिधित्व पहले से ही दोनों प्रकार से अथवा दोनों में से किसी एक प्रकार से 16 प्रतिशत हो तब आरक्षण के आधार और पदोन्नति की उस पद पर आवश्यकता होना नही कहा जा सकता लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 72 प्रतिशत पदों पर सामान्य वर्ग का आरक्षण हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने पर एक और स्थिति यह रामने आती है कि जब भी किसी वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध पदौन्नति की जाती है तो वह पदौन्नति उस वित्त वर्ष के प्रारम्भ से अर्थात 1 अप्रैल से वरिष्ठता के लिये गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2011–12 के रिक्त पदों के लिए पश्चातवर्ती किसी तिथि को पदौन्नति की जाती है तो उसका प्रारम्भ 1 अप्रैल, 2011 से होगा न कि 1 अप्रैल, 2012 से। पुनः और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह उल्लेख किया जाता है कि यदि वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 20.09. 2011 से समस्त परिलाभ प्रदान करते हुए किसी व्यक्ति को पदौन्नति दी जाती है तो वरिष्ठता के क्रम में उसकी गणना दिनांक 1.4.2012 से नहीं की जाएगी बल्कि सामान्यतः 01.04.2011 अथवा रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक से की जाएगी। लेकिन यदि वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध पदौन्नति की जाती है तो उस वित्त वर्ष के प्रारम्भ की तारीख अर्थात 1 अप्रैल से ही गणना की जाना चाहिए। सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 25.09.2013 को अपीलार्थी को यह पत्र लिखा गया कि उसकी गणना उप निदेशक के पद पर दिनांक 01.1.2012 से की जाएगी जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया की पदौन्नति वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध हुई है। इसलिए गणना दिनांक 1.4.2011 से की जाना विधि संगत है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा जारी उपरोक्त आदेश एनेक्सर–18 दिनांक 25.09.2013 विधि संगत नहीं कहा जा सकता।

सम्पूर्ण पत्रावली व उस पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करते हुए अधिकरण यह विधि संगत पाता है कि उपरोक्त विवेचन व परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी सात्तगराम बिलूनिया को जिस दिनांक सें प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा को उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी दिनांक से अपीलार्थी को बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ मानते हुए पदोन्नति प्रदान कर उसी तारीख से समस्त परिलाभ अदा किये जाएं।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 अपीलार्थी को इस आदेश की दिनांक से तीन माह के भीतर उक्त दिनांक से, जिस दिनांक को बालमुकुन्द ओझा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदौन्नत कर परिलाभ प्रदान किये गये थे, अपीलार्थी को बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ मानते हुए उस पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त परिलाभ प्रदान किये जावे।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 12.01.2016 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 12.01.2016 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी–अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपने तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2016 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> *''अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन हुआ और चयन के उपरान्त दिनांक 14.02.1989 को उसकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया जो एनेक्सर–1 व 2 पत्रावली पर उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा दिनांक 14.02.1989 तक सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर नहीं था बल्कि बालमुकुन्द ओझा सहायक सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 28.03.1992 को वर्ष 1990–91 की रिक्ति के विरूद्ध उसे जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। यद्यपि सूचना एवं जनसंम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है फिर भी यदि इस तथ्य पर गहराई से नहीं देखा जाए तब भी बालमुकुन्द ओझा की पदोन्नति का आदेश दिनांक 28.03.1992 को जारी हुआ है जो एनेक्सर 7 है। यह पदोन्नति वर्ष 1990–91 की रिक्ति के विरुद्ध होने के कारण बालमुकुन्द ओझा की वरिष्ठता दिनांक 01.04.1990 से गणना की जाए तब भी अपीलार्थी नानगराम बीलूनिया बालमुकुन्द ओझा से इस क्रम में वरिष्ठ है क्यों कि अपीलार्थी का सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिनांक 14.02.1989 है।*

उपरोक्तानुसार प्रारम्भिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अति. निदेशक आदि के पदो की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2003 को जारी की गयी जो एनेक्सर–3 है। इस वरिष्ठा सूची में सहायक निदेशक के रूप में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर है और इसमें बालमुकुन्द ओझा का नाम नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालमुकुन्द ओझा उस समय तक सहायक निदेशक नहीं बना था जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया सहायक निदेशक के पद पर था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सहायक निदेशक के पद पर पदौन्नति वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरूद्ध हुई थी।

इसके पश्चात वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की गयी जिसका आदेश दिनांक 30.08.2003 का है जो एनेक्सर 4 है। पदोन्नति के इस आदेश के अनुसार क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का नाम अंकित है। इसके पश्चात दिनांक 01.11.2012 को पुनः अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिसमें उप निदेशक के रूप में 6 अधिकारियों के नाम अंकित है। जिनमें अपीलार्थी का नाम कम संख्या 6 पर है। इसी वरिष्ठता सूची में सहायक निदेशक के 17 अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिसमें बालमुकुन्द ओझा का सहायक निदेशक के रूप में क्रम संख्या 7 पर नाम अंकित है। यहां तक अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया, बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ रहा और बालमुकुन्द ओझा प्रारम्भ से लेकर यहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी रहा है, जो अभिलेख से स्पष्ट है।

इसके पश्चात दिनांक 24.12.2012 को सहायक निदेशक के पदों के लिए वर्ष 1997–98 से 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पुनः पदोन्नति का आदेश जारी किया गया जो एनेक्सर 8 है। इस आदेश में यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरूद्ध नानगराम बिलूनिया की की गयी पदोन्नति को निरस्त कर एडहोक घोषित किया जाता है और इस आदेश में नानगराम बिलूनिया को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति दी गयी जिसका सूची में क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है और क्रम संख्या 5 पर बालमुकुन्द ओझा का नाम अंकित है। यहां तक भी अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया, बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ अधिकारी रहा है और बालमुकुन्द ओझा, नानगराम बिलूनिया से कनिष्ठ अधिकारी रहा है। दिनांक 24.12.2012 को ही उप निदेशक के पद पर वर्ष 1997–98 से वर्ष 2005–06 तक की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का पुनः आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत कर उप निदेशक के पद पर किया गया चयन निरस्त कर दिया और उसे एडहोक घोषित किया गया।

इसके पश्चात दिनांक 24.12.2012 को ही एक और आदेश जारी किया गया जिसमें वरिष्ठता के आधार पर उप निदेशक पद पर पदोन्नति दी गयी, जिसमें 10 नाम अंकित है। इसमें बालमुकुन्द ओझा का नाम क्रम संख्या 3 पर है और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया का नाम क्रम संख्या 6 पर है। बालमुकुन्द ओझा को वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरूद्ध पदौन्नत किया गया और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया और पदोन्नति के परिणामस्वरूप पद के परिलाभ दोनों को क्रमशः दिनांक 1.2.2010 तथा 20.09.2011 से दिये गये। यह आदेश एनेक्सर–10 है और इस आदेश से बालमुकुन्द ओझा पहली बार अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया से वरिष्ठ दर्शाया गया और अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ दर्शाया गया जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया जिस समय सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आया उस समय तक बालमुकुन्द ओझा उस पद पर नहीं आया था और यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि बालमुकुन्द ओझा सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप आया और उसकी पदोन्नति भी उस वर्ष नहीं हुई जिस वर्ष अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया इस सेवा में आया और सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया बल्कि उसके बाद के वर्ष में पदोन्नति हुई है।

उपरोक्तानुसार उप निदेशक पद पर अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया एवं प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा की पदोन्नति के पश्चात वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठता के आधार पर बालमुकुन्द ओझा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 01.01.2013 को जारी किया गया जो एनेक्सर 12 एवं 13 है। यहां पर बालमुकुन्द ओझा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हो गया जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया उप निदेशक के पद पर ही रहा तब उसने इस बाबत प्रतिवेदन विभाग में उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये तो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, सरकार ने दिनांक 25.09.2013 को अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया को पत्र लिखकर सूचित किया कि आपकी उप निदेशक के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2012 से की जाएगी तब अपीलार्थी ने यह अपील इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

अधिकरण इस सम्बन्ध में गुणदोष के आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली एवं अभिलेख का अवलोकन करते हुए यह पाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पदौन्नति में क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत जो आरक्षण का प्रावधान है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि शेष 72 प्रतिशत पदो पर सामान्य वर्ग का आरक्षण हो। बल्कि वे 72 प्रतिशत पद अनारक्षित है। अनारक्षित का यह तात्पर्य है कि उन पर किसी का भी आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्मिक आरक्षण के आधार पर एवं अनारक्षित पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नति प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया बालमुकुन्द ओझा की वरिष्ठता को लांघते हुए आरक्षण के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर उससे वरिष्ठ नहीं हुआ है अपितु अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया प्रारम्भ से ही बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ था और वह वरिष्ठता आरक्षण के आधार पर नहीं था। बालमुकुन्द, ओझा अपीलार्थी के सेवा में आने तक सेवा में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त ही नहीं था और अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयनित होकर जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था भले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन सूची में नानगराम बिलूनिया का चयन आरक्षण के आधार पर हुआ हो लेकिन वह इस पद पर बालमुकुन्द ओझा से पहले सेवा में आया इसलिए वह बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ हुआ और जिस वर्ष बालमुकुन्द ओझा पदोन्नत होकर जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में सेवा में आया उस वर्ष से पहले ही नानगराम बिलूनिया जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इसलिए निष्कर्ष रूप में अपीलार्थी प्रारम्भ से ही बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठ था और बालमुकुन्द ओझा कनिष्ठ था। अतः बिना आरक्षण के भी सामान्य वरिष्ठता के आधार पर भी जब बालमुकुन्द ओझा की पदौन्नति का अवसर आया उससे पहले वह अवसर नानगराम बिलूनिया को मिलना चाहिए था जो उसे नहीं मिला। जहां तक पदौन्नति पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न है. यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति आरक्षण के आधार पर और बिना आरक्षण के सामान्य अनुक्रम में पदौन्नत होकर उच्च पद पर जाते हैं, तब यदि उनका प्रतिनिधित्व पहले से ही दोनों प्रकार से अथवा दोनों में से किसी एक प्रकार से 16 प्रतिशत हो तब आरक्षण के आधार और पदोन्नति की उस पद पर आवश्यकता होना नही कहा जा सकता लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 72 प्रतिशत पदों पर सामान्य वर्ग का आरक्षण हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने पर एक और स्थिति यह रामने आती है कि जब भी किसी वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध पदौन्नति की जाती है तो वह पदौन्नति उस वित्त वर्ष के प्रारम्भ से अर्थात 1 अप्रैल से वरिष्ठता के लिये गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2011–12 के रिक्त पदों के लिए पश्चातवर्ती किसी तिथि को पदौन्नति की जाती है तो उसका प्रारम्भ 1 अप्रैल, 2011 से होगा न कि 1 अप्रैल, 2012 से। पुनः और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह उल्लेख किया जाता है कि यदि वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 20.09. 2011 से समस्त परिलाभ प्रदान करते हुए किसी व्यक्ति को पदौन्नति दी जाती है तो वरिष्ठता के क्रम में उसकी गणना दिनांक 1.4.2012 से नहीं की जाएगी बल्कि सामान्यतः 01.04.2011 अथवा रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक से की जाएगी। लेकिन यदि वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध पदौन्नति की जाती है तो उस वित्त वर्ष के प्रारम्भ की तारीख अर्थात 1 अप्रैल से ही गणना की जाना चाहिए। सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 25.09.2013 को अपीलार्थी को यह पत्र लिखा गया कि उसकी गणना उप निदेशक के पद पर दिनांक 01.1.2012 से की जाएगी जबकि अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया की पदौन्नति वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध हुई है। इसलिए गणना दिनांक 1.4.2011 से की जाना विधि संगत है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा जारी उपरोक्त आदेश एनेक्सर–18 दिनांक 25.09.2013 विधि संगत नहीं कहा जा सकता।

सम्पूर्ण पत्रावली व उस पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करते हुए अधिकरण यह विधि संगत पाता है कि उपरोक्त विवेचन व परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी सात्तगराम बिलूनिया को जिस दिनांक सें प्रत्यर्थी बालमुकुन्द ओझा को उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी दिनांक से अपीलार्थी को बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ मानते हुए पदोन्नति प्रदान कर उसी तारीख से समस्त परिलाभ अदा किये जाएं।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी नानगराम बिलूनिया की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 अपीलार्थी को इस आदेश की दिनांक से तीन माह के भीतर उक्त दिनांक से, जिस दिनांक को बालमुकुन्द ओझा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदौन्नत कर परिलाभ प्रदान किये गये थे, अपीलार्थी को बालमुकुन्द ओझा से वरिष्ठ मानते हुए उस पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त परिलाभ प्रदान किये जावे।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under*

> *appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 12.01.2016 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य